120

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 7014-एक/2017 - विरूद्ध आदेश दिनांक 24-12-2016- पारित व्दारा -/कलेक्टर आफ स्टाम्पस सह जिला पॅजीयक जिला मुरैना - प्रकरण कमांक 137 सी-132/2015716

1- राजकुमार सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह ठाकुर
पंडित रामगोपाल वाली गली महावीरपुरा मुरैन
2- रामलखन सिंह सिकरवार पुत्र सुखलाल सिंह
3- धर्मेन्द्रसिंह सिकरवार पुत्र कृष्ण सिंह
4- जितेन्द्र सिंह पुत्र कृष्णसिंह सिकरवार
निवासीगण शिवशक्ति विहार संजय कालोनी
तहसील व जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर आफ स्टाम्प मुरैना ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एम0पी0भटनागर)
(अनावेदक के पैनल लायर श्रीमती रजनी शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 3 -2018 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्पस सह जिला पॅजीयक जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 137 सी-132/2015716 में पारित आदेश दिनांक 24-12-2016 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक कमांक-1 ने कलेक्टर आफ स्टाम्प्स सह जिला पॅजीयक । मुरैना को आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उसके व्दारा दिनांक 29-10-15 को ई स्टाम्प रू. 10489/- का विलेख के निष्पादन/पंजीयन हेतु भुगतान अपनी केडिट लिमिट से श्रीमती शांति विकेता एंव

क्रेता रामलखन सिकरवार के हक में संपादन हेतु एप्लीकेशन के माध्यम से जनरेट किया था। इन ई-स्टाम्प का आशयित प्रयोजन निष्फल हो जाने के कारण राशि रिफन्ड की जावे। इस आवेदन पर कलेक्टर आफ स्टाम्पस सह जिला पॅजीयक जिला मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 137 सी-132/2015716 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनॉक 24-12-2016 पारित किया एंव स्टाम्प रिफन्ड आवेदन समयावधि में प्रस्तुत न होना मानकर रिफन्ड का दावा अस्वीकार किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 137 सी-132/2015716 का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विक्रेता श्रीमती शॉति देवी से आवेदक क्रमांक 2 से 4 द्वारा मौजा जौरा खुर्द की भूमि सर्वे क्रमांक 754 के अंश भूखंड 40 X 60 के क्रय हेतु विक्रयपत्र तैयार कराकर निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया गया था, किन्तु विक्रेता द्वारा विक्रय करने से मना करने के कारण विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं हो सका। आवेदकगण द्वारा विक्रय पत्र पंजीयन के लिये 1,04,891/-रू. के ई स्टाम्प क्रय किये थे लेकिन विक्रय पत्र संपादित न होने से व्यर्थ हो गये, जिसके रिफन्ड के लिये कलेक्टर आफ स्टाम्पस सह जिला पॅजीयक जिला मुरैना को आवेदन दिया था, किन्तु उन्होंने तकनीकी पैचीगदी निकाल का 1,04,891/-रू. के स्टाम्प रिफन्ड करने वावत् प्रस्तुत आवेदन निरस्त करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर 1,04,891/-रू. का रिफन्ड वापिस कराया जावे।

शासन के पैनल लायर का तर्क है कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 50 दो एंव तीन में रिफन्ड के लिये छै माह की अवधि नियत है किन्तु आवेदकगण ने नियत अवधि में रिफन्ड आवेदन नहीं दिया है इसलिये कलेक्टर आफ स्टाम्प्स सह जिला पॅजीयक जिला मुरैना का आदेश दिनांक 24-12-2016 सही है निगरानी निरस्त की जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ

न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि रू. 1,04,891/ के स्टाम्प पर तैयार कर विक्रय पत्र संपादन हेतु दिनांक 29-10-15 को प्रस्तुत हुये है जिसके रिफन्ड हेतु आवेदन 12-5-16 को दिया गया है अर्थात 6 माह 12 दिवस वाद प्रस्तुत हुआ है जिसे कलेक्टर आफ स्टाम्पस सह जिला पॅजीयक जिला मुरैना ने 6 माह से अधिक अवधि वाद प्रस्तुत होना मानकर निरस्त किया है। **सुमित कुमार दुबे विरूद्व म0प्र0 राज्य 2015 रा0नि0 17 में माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर ने व्यवस्था दी है कि स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 49 (घ) (3) तथा 50(1) में व्यवस्था दी गई है कि खराव हुये स्टाम्प के लिये प्रस्तुत दावे से इंकार नहीं किया जा सकता। खराव हुये स्टाम्प की रकम वापस करने तथा रकम वापिस लेने के लिये आवेदन नामन्जूर नहीं किया जा सकता।** मात्र 12 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत रिफन्ड आवेदन को कलेक्टर आफ स्टाम्पस सह जिला पॅजीयक जिला मुरैना ने अवधि वाधित मानकर अस्वीकार करने में भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा प्रकरण कमांक 137 सी-132/2015716 में पारित आदेश दिनांक 24-12-2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर कलेक्टर आफ स्टाम्प्स सह जिला पॅजीयक जिला मुरैना का प्रकरण कमांक 137 सी-132/2015-16 इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि वह हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर विधि में दी गई व्यवस्था अनुसार आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर